सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 23, बुधवार, शाके 1944-सितम्बर 14, 2022

Bhadra 23, Wednesday , Saka 1944- September 14, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 1, 2022

संख्या: 58/भू.अ./ज.स./2008/1960-1964:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पंचपहाड़ी लघु सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण के लिए डूब क्षेत्र, बांध एलाइमेंट व बाई वास में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सूनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, जयपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पावटा संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियंता ,जल संसाधन खण्ड, जयपुर के पंचपहाड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन ,पुनर्वासन ,पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा (1) 4की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव ।

क्र. सं.	कार्य का नाम	जिले का नाम	तहसील	उपखंड अधिकारी / भूमि अवाप्त अधिकारी
1.	पंचपहाड़ी लघु सिंचाई परियोजना	जयपुर	कोटपूतली (मौजुदा पावटा)	उपखंड अधिकारी पावटा

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जयपुर
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	जल संसाधन विभाग द्वारा पंचपहाड़ी लघु सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण के लिए डूब क्षेत्र, बांध एलाइमेन्ट व बाई वाश ग्राम पंचपहाड़ी में 25.39 हैक्ट. एंव आदर्शनगर में 23.78 हैक्ट. तहसील कोटपूतली (मौजुदा पावटा) जिला जयपुर में आने वाली विभिन्न खसरों में भूमि कुल 49.17 हैक्ट. भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। (नक्शा संलग्न)
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (।।।) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दे।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और या भू -स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा-2 (1) के अंतर्गत लागु नहीं है। नोट धारा 4 से पहले धारा-2(1) को लागू नही किया जा सकता है।।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड.)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जयपुर में उपलब्ध

कृष्ण मोहन जायसवाल,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।